प्रकाशन हेतु अनुमोदित

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

दोहरीपीठः **माननीय श्री टी. पी. शर्मा एवं**

माननीय श्री आर. एन. चंद्राकर न्यायाधीशगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रथम अपील (विविध) क्रमांक 52 / 2008

सुशिल कुमार

बनाम

श्रीमती रामेश्वरी बाई

विचार हेतु निर्णय

हस्ताक्षर-
टी. पी. शर्मा
न्यायाधीश

माननीय श्री आर. एन. चंद्राकर

हस्ताक्षर-
आर. एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचिबद्धः

हस्ताक्षर-

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

प्रथम अपील (विविध) क्रमांक 52 / 2008

अपीलार्थी आवेदक	:	सुशिल कुमार पिता पिता राघवलाल साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम भाटापारा, जांजगिरी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.)
	बनाम	
प्रत्यर्थी : अनावेदक		श्रीमती रामेश्वरी बाई पत्नी सुशिल कुमार, पुत्री चेतनलाल साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी नान्कट्ठी, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

(कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री मनोज जायसवाल, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री ए.के.प्रसाद, प्रत्यार्थिनी के अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 08 अक्टूबर, 2009 को पारित किया गया)

1. यह प्रथम अपील, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1984') की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग द्वारा दिनांक 25.02.2008 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा वाद संख्या 45A/2006 में विवाह विच्छेद की याचिका को निरस्त कर दिया गया।
2. अपीलार्थी ने उक्त निर्णय एवं डिक्री को इस आधार पर चुनौती दी है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यार्थिनी द्वारा अपीलार्थी पर की गई क्रूरता के आधार को विचारार्थ नहीं लिया, जिससे विधि में त्रुटि उत्पन्न हुई है।
3. याचिका में उल्लिखित संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, अपीलार्थी और प्रत्यर्थिनी दोनों हिंदू हैं और विधिपूर्वक परिणय-सूत्र में बंधे दंपत्ति हैं। उनका विवाह अप्रैल 2002 में संपन्न हुआ था। यह आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थिनी अपीलार्थी तथा उसके माता-पिता के निर्देशों/सलाहों की

अवहेलना करने की आदि थी और उसे सौंपे गए घरेलू कार्यों को करने से इनकार करती थी। वह अपीलार्थी तथा उसके माता-पिता से दुर्व्यवहार करने की भी अभ्यस्त थी। वर्ष 2004 में, प्रत्यर्थिनी गर्भवती हुई और तत्पश्चात गर्भपात हो गया। पुनः गर्भधारण करने के उपरांत, उसने चिकित्सकीय सलाह का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप भ्रूण का हाथ गर्भाशय से बाहर निकल आया। उसे ज्योति मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ भ्रूण गर्भ में ही मृत पाया गया। तत्पश्चात शल्य चिकित्सा की गई। इस शल्य चिकित्सा के दौरान, प्रत्यर्थिनी ने अपीलार्थी की सहमति के बिना स्वयं चिकित्सक से गर्भाशय को हटाने का अनुरोध किया, और परिणामस्वरूप उसका गर्भाशय निकाल दिया गया। यह कृत्य अपीलार्थी के अनुसार मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। शल्य चिकित्सा के बाद प्रत्यर्थिनी का व्यवहार असामान्य हो गया और वह बार-बार अपीलार्थी से उसे मायके भेजने का आग्रह करने लगी। कभी-कभी वह आत्महत्या करने का प्रयास भी करती थी। अंततः उसने वैवाहिक गृह छोड़ दिया और अपीलार्थी एवं उसके माता-पिता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। प्रत्यर्थिनी द्वारा निरंतर मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता किए जाने तथा बिना किसी उचित कारण के त्याग दिए जाने का आरोप लगाते हुए अपीलार्थी ने विवाह विच्छेद हेतु डिक्री की मांग की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रत्यर्थिनी ने सभी आरोपों का खंडन किया है। उसने यह निवेदन किया कि उसका व्यवहार सभ्य एवं सामान्य था तथा उसने कभी भी अपीलार्थी अथवा उसके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। उसने चिकित्सकीय परामर्श की अवहेलना करने के आरोप से भी इनकार किया है। वर्ष 2004 में हुए गर्भपात के संबंध में उसने यह स्पष्ट किया कि गर्भपात और गर्भाशय की शल्य चिकित्सा उसकी किसी गलती के कारण नहीं हुई। प्रत्यर्थिनी ने विशेष रूप से यह आरोप लगाया कि अपीलार्थी उसे पीटता था और दहेज की मांग को लेकर उस पर अत्याचार करता था। उसने यह भी कहा कि दूसरे गर्भपात और गर्भाशय की चिकित्सकीय शल्य क्रिया के बाद अपीलार्थी और उसके माता-पिता ने उसे वैवाहिक गृह से निकाल दिया।
5. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों के आधार पर, माननीय तृतीय अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ने विवादनो का निर्धारण किया और दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद की याचिका को खारिज कर दिया।
6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना और निर्णय एवं डिक्री तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।
7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि प्रत्यर्थिनी ने अपीलार्थी के साथ क्रूरता की है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसने जानबूझकर अपीलार्थी तथा उसके माता-

पिता के निर्देशों की अवहेलना की तथा चिकित्सक से अपने गर्भाशय को हटाने का अनुरोध स्वतंत्र रूप से किया, जिससे अपीलार्थी को संतान प्राप्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थिनी के ये कृत्य शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आते हैं और विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त आधार हैं।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थिनी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि प्रत्यर्थिनी ने कभी भी अपीलार्थी के साथ किसी प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न नहीं किया। बल्कि, अपीलार्थी और उसके माता-पिता ने प्रत्यर्थिनी के साथ क्रूरता एवं उत्पीड़न किया और अंततः उसे वैवाहिक गृह से निकाल दिया।

9. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों की समीक्षा एवं आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री की वैधता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। यह तथ्य कि दोनों पक्षों के मध्य विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ था और दोनों हिंदू धर्मावलंबी हैं, आक्षेपित नहीं है। इसके अतिरिक्त, गर्भपात और गर्भाशय हटाए जाने की घटना, जिसके कारण दोनों को संतान प्राप्त नहीं हो सकी, यह तथ्य भी निर्विवाद है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. क्रूरता के प्रश्न के संदर्भ में, अपीलार्थी ने अपने पक्ष में याचिका का समर्थन करते हुए यह बयान दिया है कि प्रत्यार्थिनी का व्यवहार अपीलार्थी की माता-पिता के प्रति उचित नहीं था। उसने आरोप लगाया कि प्रत्यार्थिनी अक्सर उसके तथा उसके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार किया करती थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्यार्थिनी ने दहेज की मांग से संबंधित एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें अपीलार्थी तथा उसके माता-पिता को न्यायालय में आने के लिए विवश किया गया। प्रत्यार्थिनी अपने मायके बार-बार जाया करती थी। अपीलार्थी के साक्षी गणेश राम (अ.सा-2) एवं कुमारी बाई (अ.सा--3) ने अपीलार्थी के बयानों की पुष्टि की है।

11. इसके विपरीत, प्रत्यार्थिनी ने प्रताड़ना एवं क्रूरता के सभी आरोपों से इनकार किया है। उसने यह स्वीकार किया कि दूसरी गर्भावस्था के दौरान उसे सेक्टर-9 अस्पताल, भिलाई में भर्ती कराया गया था, जहाँ सोनोग्राफी जांच के दौरान यह पता चला कि उसकी गर्भाशय फट चुकी है, और डॉक्टर की सलाह पर गर्भाशय को निकालना आवश्यक हो गया। इस उपचार के पश्चात प्रत्यार्थिनी शारीरिक रूप से कमजोर हो गई, फिर भी अपीलार्थी तथा उसके माता-पिता उसे कार्य करने के लिए मजबूर करते थे और अंततः उसे घर से निकाल दिया गया। प्रत्यार्थिनी के साक्षी सरस्वती (ब.सा-2) एवं चेतन दास (ब.सा-2) जो क्रमशः उसकी बहन एवं पिता हैं, ने उसके कथनों की पुष्टि की है।

12. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध प्रताड़ना एवं क्रूरता के आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं। परन्तु, अपीलार्थी ने अपनी याचिका में विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि प्रत्यार्थिनी ने बिना

उसकी सहमति के डॉक्टर से गर्भाशय हटाने का अनुरोध किया, जबकि उनके कोई संतान नहीं थी, और प्रत्यार्थिनी के कहने पर ही गर्भाशय हटाया गया। अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में इस कथन का समर्थन किया है। अपीलार्थी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यार्थिनी गर्भधारण में सक्षम थी तथा वह एक से अधिक बार गर्भवती हुई। उसने अपनी जिरह के कंडिका 12 में यह स्वीकार किया है कि दूसरी गर्भावस्था के समय भ्रूण गर्भ में ही मृत हो गया था। उसने कंडिका 14 में यह भी स्वीकार किया है कि सेक्टर-9 अस्पताल, भिलाई में उसकी सोनोग्राफी कराई गई थी, और डॉक्टर ने बताया था कि गर्भाशय फट चुका है तथा इसे निकालना आवश्यक है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उक्त अस्पताल में डॉक्टर द्वारा गर्भाशय निकाला गया और इस शल्यक्रिया से प्रत्यार्थिनी की जान बचाई गई। अपीलार्थी की माता ने भी अपने साक्ष्य के कंडिका 3 में यह विशेष रूप से कहा है कि गर्भाशय की स्थिति ठीक नहीं थी और डॉक्टरों ने इसे निकालने की सलाह दी थी। प्रत्यार्थिनी ने भी इसे स्वीकार किया है। फिर भी, अपीलार्थी ने अपनी याचिका के कंडिका 4 में यह आरोप लगाया है कि प्रत्यार्थिनी ने उसकी सहमति के बिना ही गर्भाशय हटवाने के लिए डॉक्टर से अनुरोध किया था। याचिका के कंडिका 4 में यह वर्णित है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "बाद में प्रत्यर्थी बच्चा नहीं चाहिए कहकर अभ्यर्थी की इच्छा के विरूद्ध बच्चा दानी को निकलवा लिया लिया है इस प्रकार प्रत्यर्थी का अब भविष्य में बच्चा पैदा नहीं हो सकती है जिससे अभ्यर्थी को मानसिक कष्ट हो रहा है। अभ्यर्थी एवं प्रत्यर्थी को कोई संतान नहीं है अभ्यर्थी अपने वंशवृद्धि करने के कमी के कारण घोर मानसिक कष्ट से गुजर रहा है जिसके कारण भी अभ्यर्थी एवं प्रत्यर्थी के बीच सम्पन्न विवाह को विच्छेद किया जाना न्यायोचित है।"

13. अपीलार्थी ने अपनी गवाही के पैरा 14 में विशेष रूप से यह बयान दिया है, जो इस प्रकार है:-

> “सेक्टर 9 में अनावेदिका की सानोग्राफी हुई। यह सही है कि सेक्टर 9 के डाक्टर ने कहा था कि अनावेदिका का गर्भाशय फट चुका है और उसे निकाला जाना आवश्यक है। यह कहना गलत है कि निकालना जरूरी है अन्यथा उसकी जान को खतरा है। सेक्टर 9 अस्पताल में अनावेदिका के ईलाज के लिए मेरी सहमति नहीं लिये थे। यह सही है कि सेक्टर 9 अस्पताल के चिकित्सकों ने बच्चेदानी निकाली थी। यह सही है कि बच्चेदानी निकालने से ही अनावेदिका की जान बची थी।"

14. अपीलार्थी की माता की गवाही के पैरा 3 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> "सेक्टर 9 अस्पताल में बताया गया कि अनावेदिका की बच्चे दानी खराब हो गई है और उसे निकालना पड़ेगा ऐसा बताया गया और बच्चेदानी निकाल दी गई"

15. अपीलार्थी तथा उसकी माता द्वारा गर्भाशय हटाए जाने के संबंध में दिए गए बयान व तर्के परस्पर विरोधाभासी हैं। यह इस बात को दर्शाते हैं कि अपीलार्थी ने स्वार्थपूर्ण व चतुराईपूर्ण तरीके से इस तथ्य का उपयोग विवाह विच्छेद के आधार के रूप में करने का प्रयास किया, यह दर्शाने हेतु कि बिना उसकी सहमति के, बिना संतान उत्पन्न होने की अवस्था में, गर्भाशय हटाई गई। परंतु जब अपीलार्थी को साक्ष्य के तहत सत्य बोलना पड़ा, तब उसने स्वीकार किया कि आवेदिका की गर्भाशय फटी हुई थी और उसका हटाया जाना न केवल आवश्यक, अपितु उसके जीवन की रक्षा हेतु अनिवार्य था। वैध रूप से विवाहित पत्नी के प्रति सहानुभूति दिखाने के स्थान पर, अपीलार्थी ने इस परिस्थिति को मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु उपयोग करने का प्रयास किया।

16. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की सम्यक् जांच के उपरांत, अधीनस्थ तृतीय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यार्थिनी ने याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रूरता का सामना नहीं कराया है। अतः विवाह-विच्छेद की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, हम अधीनस्थ तृतीय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधता या त्रुटि नहीं पाते। उक्त निष्कर्ष भरोसेमंद और पर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित हैं और इसलिए अपील में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

18. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, अपील खारिज की जाती है और इस प्रकार खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता को मुकदमे तथा अपील का खर्च वहन करना होगा। अधिवक्ता शुल्क निर्धारित मानदंडानुसार दिया जाएगा।

    तदानुसार डिक्री प्रदान की जाए।

हस्ताक्षर-
टी. पी. शर्मा
न्यायाधीश

हस्ताक्षर-
आर. एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Punni Das, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur